ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 **PP. No.- 72-73**

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

बाल विवाह कुप्रथा अंत की ओर

सविता राजन

असि0 प्रोफेसर–समाजशास्त्र, इं0गां0राज0 स्नात0 बांगरमऊ, उन्नाव (उ0प्र0) भारत

Received-08.01.2025, Revised-16.01.2025, Accepted-22.01.2025 E-mail: aaryvrt2013@gmail.com

सारांशः बोधायन के धर्मसूत्र में लिखा गया है कि अपनी कन्या को उस पुरूष को दे दे, जो ब्रह्मचारी तथा सद्गुणों से युक्त हो। यदि पुरूष सद्गुणों से युक्त न हो, तो वयस्कता (रजस्वला) हो जाने पर उस कन्या को अपने घर में नहीं रखे उसे दे दें।

प्राचीन समय में कन्या का दान कर देना, धनिकता, प्रभाव तथा उच्च सामाजिक स्थिति का लक्षण माना जाता था। यह उस समय गौरव तथा प्रतिष्ठा की बात थी कि किसी भी संतान के लिये छोटी आयु में ही मांग हो। इन विभिन्न प्रभावों के कारण बाल विवाह लोकप्रिय हो गये। समय बीतने के साथ यह प्रथा इतनी प्रबल हो गई कि इसके विपरीत जाना सामाजिक तिरस्कार तथा अपमान का कारण माना जाता था।

कुंजीभूत शब्द– बाल विवाह कुप्रथा, रजस्वला, धनिकता, उच्च सामाजिक स्थिति, गौरव तथा प्रतिष्ठा, सामाजिक तिरस्कार

हिन्दू धर्म के पंडित लोग इस प्रथा का प्रचलन जारी रखने के लिये धार्मिक भावनाओं का लाभ उठाने के लिये हमेशा तत्पर रहते थे। यही कारण था कि न केवल रजोदर्शन के पश्चात् विवाह को अविचारणीय बनाया गया बल्कि सामाजिक शक्तियों से इस प्रथा की इतनी अधिक प्रगति प्राप्त हुई कि रजोदर्शन पूर्व विवाह बाल विवाह की ओर पतनोन्मुख होता चला गया। धार्मिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों ने मिलकर बाल विवाह को नियम तथा कर्त्तव्य के रूप में परिणत कर दिया।[1] ऋग्वेद के दशम मंडल में विवाह सूक्त में भी भिन्न–भिन्न भावों से कन्या को अनेक रूपों से पार होकर विवाह योग्य माना गया है।

"सोमः प्रथमो विविदे गंधर्वो विविद् उत्तरः। तृतीयो अग्निष्ठे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजः।।"

अर्थात्, विवाह योग्य वधू पहले सोम से कौमार्य प्राप्त करती है, रजोदर्शन द्वारा गृहस्थ पालन की शक्ति प्राप्त करती है और फिर यौवन की ऊष्मा प्राप्त करती है उसके उपरांत पति उसको प्राप्त करता है।[2] नीची जातियां ऊंची जातियों के अनुसरण में उन से भी आगे निकल गई। उन्होनें बालक के जन्म के जन्म के पूर्व ही विवाह तय करने आरंभ कर दिये। गर्भ में ही बालकों का विवाह तय हो जाना तथा बहुत ही कम आयु में उनको विवाह हो जाना उन लोगों के लिये कष्टप्रद सिद्ध नहीं हुआ उस समय विधवा विवाह मान्य था।

उन्नीसवीं शताब्दी में राजा राममोहन राय द्वारा आरंभ किये गये सुधार आंदोलन में स्वभावतः ही पढ़े लिखे वर्ग का विशेष ध्यान इस प्रथा की ओर आकृष्ट हुआ। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने जो न केवल सुधारों का प्रचार करने में ही विश्वास करते थे बल्कि उन्हें व्यवहार में लाना चाहते थे, उन्होनें प्रतिज्ञा में शर्त रखी कि वह अपने पुत्र को 18 तथा कन्या को ग्यारह वर्ष पूर्व विवाह करने की अनुमति नहीं देगा। उन्होनें प्रतिज्ञा में शर्त रखी कि वह अपने पुत्र को 18 तथा कन्या को ग्यारह वर्ष पूर्व विवाह करने की अनुमति नहीं देगा। उन्होनें बुद्धिसंगत आयु में विवाह के लिये आंदोलन किया और उनका प्रबल प्रचार व्यर्थ नही गया।[3] 28 सितम्बर 1929 को इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। लड़कियों के विवाह की आयु 14 वर्ष और लड़कों की 18 वर्ष तय की गई, इसे शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसके प्रायोजक हरबिलास शारदा के नाम से जाना जाता है। बाद में इसमें संशोधन (2006) करके लड़की की आयु 18 वर्ष और लड़के की आयु 21 वर्ष कर दी गई।[4] इसे बाल विवाह निरोधक (संशोधक) अधिनियम के नाम से जाना गया।

बाल विवाह कराने पर 2 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रूपये तक जुर्माने प्रावधान/बाल विवाह को अनुबंधकर्त्ता पक्ष द्वारा वयस्कता प्राप्त करने पर 2 वर्ष के अंदर समाप्त किया जा सकता है।

बाल विवाह के कारण–

- भारत में प्रचलित अनेक रूढ़िगत कारकों से प्रेरित बाल विवाह प्रचलन में है जिसमें गरीबी, अशिक्षा, लैंगिक असमानता, सामाजिक पिछड़ापन, रूढ़िवादिता आदि महत्वपूर्ण है।
- कुछ संस्कृतियों में कम आयु की लड़की का विवाह करना परिवार के सम्मान की रक्षा करने के लिये अनिवार्य माना जाता है।
- अनेक पिछड़े राज्यों में यह देखा गया है कि गरीब परिवार कर्ज चुकाने या गरीबी के चक्र से बाहर निकलने के लिये अपने बच्चों का विवाह करके उन्हें बेच देते हैं।
- लड़कियों के खिलाफ सामाजिक दुर्व्यवहार, लैंगिक भेदभाव, बलात्कार और अन्य अपराध भी माता–पिता अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिये बाल विवाह की ओर प्रेरित करते हैं।
- भारतीय समाज में प्रचलित दहेज प्रथा भी बाल विवाह का प्रमुख कारण है अधिकतर उम्र में वृद्धि के साथ दहेज की राशि अधिक हो जाती है यही कारण है कि उत्तर प्रदेश, बिहार एवं राजस्थान जैसे राज्यों में परिवार अपनी लड़कियों का विवाह कम उम्र में ही करना पसंद करते हैं।

बाल विवाह के प्रभाव–

- बाल विवाह से बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन पथ को चुनने की स्वतंत्रता संबंधी अधिकारों का हनन होता है ऐसे अधिकांश बच्चों को जीवन पर्यन्त शारीरिक, मानसिक हिंसा तथा शोषण का सामना करना पड़ता है।
- बाल विवाह से बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो जाता है।
- इससे बच्चों की शिक्षा में बाधा आती है।
- बाल विवाह से बच्चों का पोषण सही से नहीं हो पाता है।
- बाल विवाह से बच्चों का विकास ठीक ढंग से नहीं हो पाता है।
- बाल विवाह से बच्चों के अधिकारों का हनन होता है।
- कम उम्र में विवाह करने से अधिक संतान उत्पत्ति की सम्भावना रहती है जिससे जनसंख्या को नियंत्रित करने में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं।

अनुरूपी लेखक/ संयुक्त लेखक

I S S N NO. - 2347 – 2944 (Print)
e-I S S N NO.- 2582 – 2454 (Online)
Vol.-19, No.-I, Issues-35, YEAR-Jan-Mar. 2025

- बाल विवाह से अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होती है। ये गरीबी के अंतर पीढ़ी चक्र को जन्म दे सकता है।
- किशोरी माताओं से जन्म लेने वाले बच्चों में अन्य स्वास्थ्य चुनौतियों के साथ बौनेपन की सम्भावना होती है। इससे शिशु एवं मातृ मृत्यु भी बढ़ जाती है।[5]

वर्तमान समय में 'बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA) 2006 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किये हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बाल विवाह संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। इस निर्णय में शीर्ष अदालत ने 18 वर्ष पूर्व बाल विवाह निषेध अधिनियम के बावजूद भारत में बाल विवाह के खतरनाक स्तर को उजागर किया है। बाल विवाह के मुद्दे पर गंभीरता से विचार करते हुये हाल में ही केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान किया गया जिसका उद्देश्य देशभर में बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करना और युवा लड़कियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाना है।[6]

बाल विवाह की स्थिति –

- वैश्विक स्तर पर 15–19 वर्ष की आयु की लगभग 40 मिलियन लड़कियां वर्तमान में विवाहित हैं अथवा इसी प्रकार के अन्य रिश्ते में है।
- सेव दि चिल्ड्रन की ग्लोबल गर्लहुड रिपोर्ट का अनुमान है कि 2020 और 2025 के बीच विश्व भर में अतिरिक्त 5 मिलियन लड़कियो के समक्ष विवाह का खतरा है, जो कि कोविड –19 महामारी के कारण सभी प्रकार की लिंग आधारित हिंसा के कथित वृद्धि के परिणामस्वरूप है।
- रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कोविड–19 महामारी जनित लॉकडाउन तथा स्कूल बंद होने के बाद लगभग 15 मिलियन लड़के एवं लड़कियां स्कूली शिक्षा से ड्रापआउट हुए हैं। स्कूल वापिस नहीं आने की स्थिति में ऐसे बच्चों के समक्ष कम उम्र में विवाह एवं बाल श्रम का अधिक खतरा रहता है।
- बाल विवाह में कमी आने के बावजूद भारत विश्व का सबसे अधिक बाल विवाह के प्रचलन 33 प्रतिशत वाला देश है। वर्तमान में यहां 15–19 वर्ष की आयु की लगभग 16 प्रतिशत किशोरियां विवाहित हैं।
- भारत में बाल विवाह रोकथाम अधिनियम जैसे विभिन्न उपायो के कारण 2015 से 2021 के बीच 47: से घटकर 23.3: हो गया है।[7] (NFHS-5) फिर भी, पश्चिमी बंगाल, बिहार और त्रिपुरा जैसे राज्यों में बाल विवाह का प्रचलन राष्ट्रीय औसत से अधिक है।

बालिका वधू बनने से बच गई एक और बेटी–

लखनऊ काकोरी में नाबालिग लड़की के परिवार के लोग ही शादी कर रहे थे। 13 फरवरी 2025 को शादी होनी थे। 12 फरवरी को घर में इसको लेकर उत्सव चल रहा था। बाल संरक्षण इकाई, लखनऊ, वन स्टॉप सेंटर और काकोरी थाने की पुलिस टीम के साथ बच्ची पुलिस, वन स्टाफ सेंटर में शादी रूकवा दी।

12 फरवरी को संरक्षण अधिकारी सूर्यकान्त चौरसिया, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड लाइन कोआर्डिनेटर जया सिंह, ज्योति देवी, केस वर्कर ने विभिन्न माध्यम से उक्त सूचना की पुष्टि की लड़की के नाबालिग होने के प्रमाण पत्र एकत्र किये। जिसके अनुसार बच्ची की उम्र 16 वर्ष 1 माह मिली परिवार को बताया नाबालिग बच्ची का विवाह कानूनन अपराध है समझाने के बाद परिवार शादी रोकने को राजी हुये टीम को आश्वस्त करने के साथ ही लिखित रूप से अंडरटेकिंग भी दिया। जिसके फलस्वरूप बच्ची की शादी रूक गई। इस प्रकार और एक बच्ची का जीवन बच गया।[8]

बाल विवाह रोकने के प्रयास व सुझाव–19वीं शताब्दी में राजाराम मोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, रमाबाई जैसे समाज सुधारकों ने बाल विवाह पर नियंत्रण हेतु अनेक प्रयास किये।

- बाल विवाह पर निषेध अधिनियम (PCMA), 2006 ने बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 का स्थान ले लिया।
- केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000,राष्ट्रीय युवा नीति 2003 के माध्यम से बाल विवाह पर रोक लगाने के प्रयास किए।
- विभिन्न राज्य पश्चिम बंगाल, ने इस दिशा में कुछ प्रयास किये हैं जैसे कन्याश्री, रूपश्री योजनाओं का उद्देश्य बाल विवाह को समाप्त करना है।

निष्कर्ष– हमारी हिन्दू संस्कृति में पूर्व में बाल विवाह विद्यमान था किन्तु धीरे–धीरे ये माना जाने लगा लड़कियों के लिये शिक्षा आवश्यक है कम उम्र में विवाह होने से लड़कियों के साथ सामाजिक, शारीरिक व मानसिक परेशानियां उत्पन्न होती हैं। यदि कन्या शिक्षित है, जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी है शारीरिक, मानसिक दृष्टि से हर परिस्थिति का सामना करने के लिये योग्य होती है। आवश्यकता पड़ने पर अपने विचार दृढता के साथ प्रकट कर सकती है। हर प्रकार के निर्णय लेने में दूसरों पर आश्रित नहीं होती। जब से कानून पास हुआ है उस समय से लोगों की विचारधारा में स्पष्ट परिवर्तन दिखाई दे रहा है और यह विवाह की धीमे–धीमे बढ़ती हुई आयु में प्रतिविम्बित हो रहा है। लड़कियों को आज शिक्षा दी जा रही है जिससे वे आत्मनिर्भर हुई है। इनके स्वास्थ्य में भी सुधार हुआ है लैंगिक समानता बढ़ी है। कम उम्र में बच्चे पैदा होने की सम्भावना कम हुईहै। लड़कियों के आत्मनिर्भर होने से देश का तेजी से विकास हो रहा है। बाल विवाह रोकने से स्त्री मृत्यु दर भी कम हुई है। बाल विवाह रोकने से स्त्रियां, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक रूप से सक्षम हुई है जो महिला सशक्तिकरण के लिये आवश्यक है। इस प्रकार बाल विवाह की रोकथाम ही महिला सशक्तिकरण की नींव है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. 'भारत में विवाह एवं परिवार', के0एम0 कापड़िया, मोती लाल बनारसी दास बंगलो रोड, दिल्ली, 1963 पेज नं0–144–145.
2. ऋग्वेद दशम् मंडल : विवाह सूत्र।
3. 'भारत में विवाह एवं परिवार', के0एम0 कापड़िया, मोती लाल बनारसी दास बंगलो रोड, दिल्ली, 1963 पेज नं0–144–145.
4. समाजशास्त्र : गुप्ता एवं शर्मा, साहित्य भवन पब्लिकेशन्स, आगरा पृष्ठ–178–179.
5. क्रॉनिकल : पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, अंक जनवरी 25 पृष्ठ 15–16.
6. https://niwikipedia.org.
7. Byjus https://byjus.com.
8. हिन्दुस्तान : अंक 13.02.2025 पृष्ठ–3.

*****